## कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 3470/14-1 दिनांक,अलीगढ्अप्रैल, 1,3,2018

सेवा में

मुख्य वंन संरक्षक / नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषय: Proposal forest land diversion of protected forest for strengthening and widening of NH-91 (Aligarh to Kanpur Section) from 186.000KM to 229.00KM having extent 65.495 ha. with felling of 4,940 treees and 858 plants total 5,798 numers-Reg.

संदर्भः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक- 8बी / यू0पी0 / 06 / 13 / 2018 / एफ.सी. / 04 दिनांक 02.04.2018

महोदय.

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ के संदर्भित पत्र के कम में दिनांक 27.03.2018 को क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) द्वारा आहूत की गयी बैठक की कार्यवाही के बिन्दु संख्या REC Agenda item 26.6 के अन्तर्गत दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा ने पत्र संख्या 2186/14-1 दिनांक 13.04.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा के 2186/14-1 दिनांक 13.04.2018 द्वारा प्रेषित बिन्दुवार अनुपालन आख्या के आधार पर निम्नप्रकार सापेक्ष निम्नप्रकार बिन्दवार आख्या प्रेषित है।

S. No.	Comments	Reply
1	Compliance of conditions imposed by MoEF&CC vide final approval F. No. 8-16/2012-FC dated 09.05.2013 for NH-91, was not done. REC expressed its displeasure over suppression of this vital information in part I of the proposal by the user agency. Compliance of condition imposed vide above mentioned letter is to be ensured.	प्रेशित किये हैं:-  (a) Online Updated Part-1.
2	Calculation of proposed forest land diversion (Land Schedule) shall incorporate extent of fresh diversion and re-diversions (like of retail outlet, OFC cable etc.) clearly in the proposal. Essential documents related to re-diversion shall be furnished. Extent of fresh diversion is to be finalized duly deducting re-diversion area.	(a) NOC of all concerned Agency/ Authority has been received.  (* some NOC will be submit before REC)
3	Overlap in enumeration of trees as per approval of 2013 and present proposal shall be removed duly User Agency with furnish details of administrative approval of the proposal.	(Annexure-3) The undertaking "no any balance trees stand on site for falling" according to the 2 lane with paved shoulder project of NH-91.  Copy Enclose
4	User Agency will furnish details of administrative approval of the proposal.	Copy of Administrative Approval is attached.

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय.

(बीं0 प्रभाकर)

वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक -347% 14-1 समदिनांकित। प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक

कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बी० प्रभाकर) वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।